<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 3564

16 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

सेलम इस्पात संयंत्र का विनिवेश

3564. डॉ॰ एम.के॰ विष्णु प्रसादः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सेलम इस्पात संयंत्र में विनिवेश की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा सेलम इस्पात संयंत्र के विनिवेश के लिए निबंधन और शर्तें तय की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त संयंत्र के विनिवेश में कितना समय लगने की संभावना है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख): सरकार ने वर्ष 2016 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की एक इकाई - सेलम इस्पात संयंत्र का एक दो स्तरीय नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अभिज्ञात रणनीतिक क्रेता के पक्ष में रणनीतिक विनिवेश का निर्णय लिया है। ट्रांजेक्शन एडवाइजर्स, लीगल एडवाइजर्स तथा एसेट वैल्यूअर्स आदि जैसे मध्यस्थों को हस्तांतरण का निष्पादन करने के लिए नियुक्त किया गया है। संभावित इच्छुक बोलीकर्ताओं से रूचि की अभिव्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) को 04 जुलाई, 2019 को जारी किया गया था और बोली को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि में कई बार विस्तार के उपरांत 10 सितंबर, 2019 अंतिम तिथि तय की गई थी। किसी इकाई के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया में मामलों के निपटान के लिए विस्तृत परामर्श तथा चर्चाओं एवं उपयुक्त स्तर पर अपेक्षित प्राधिकारियों से अनुमतियाँ लेने की दीर्घकालिक प्रक्रिया शामिल है।

****